रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/13-14/93.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 9 अगस्त, 1993/18 श्रावण, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 30 जुलाई, 1993

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 3/85.—क्योंकि उपायुक्त कुल्लू को श्री कर्मदास, प्रधान, ग्राम पंचायत राहुण, विकास खण्ड निरमण्ड के विरुद्ध पचायत की निधि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें उपायुक्त कुल्लू ने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी निरमण्ड से छानबीन करवाने पर पाया गया है कि श्री कर्मदास, प्रधान द्वारा मु0 दस हजार रुपये की राशि दिनांक 22-6-1992 से 14-5-1993 तक बतौर नकद शेष पंचायत रोकड़ अनुसार अपने पास रखी और 14-5-1993 को भी स्टाक का सामान क्रय किया बताया जिसका न तो स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज पाया गया और न ही स्टाक की वस्तुएं ग्राम विकास एवं पंचायत अधिकारी को जो कि पंचायत स्टाक संरक्षक भी है के सुपुर्द आज तक किया गया है।

2054-राजपत्र/93-9-8-93—1,150. मूल्य: 1.00 रुपया।

यह कि उक्त राशि पंचायत को परिवार कल्याण विभाग से बतौर पुरस्कार परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रथम आने के उपलक्ष्य में मिली थी और उक्त श्री कर्म दास, प्रधान ने बिना प्रशासनिक स्वीकृति लिए यह व्यय किया है जिससे वित्तीय नियमों 1975 के नियम 6(8) की उलंघना की गई और निधि का छलहरण भी किया गया है ।

अतः भारत के राष्ट्रपति उन शक्तियों के प्रयोग में जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए के अधीन श्री कर्मदास, प्रधान, ग्राम पंचायत राहण, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को कारण बताओ नोटिस के सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर 15 दिनों के भीतर खण्ड विकास प्रधिकारी निरमण्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव एवं निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।